तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
9/4/20	पत्रावली पेश हुई। कोविड -19 की वजह से आदेशित लोक डाउन है। मिसल दिनांक 8.7.20 को पेश हो। श्रीमान A.C. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है।	
8/7/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं । मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 7.9.20 को पेश हो	
7/9/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है । मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 27-10-20 को पेश हो	
27/10/20	पत्रावली मुख्यालय राजगढ़ पर पेश हुई। ए.सी. साहब ~~भ्रमण~~/अवकाश/ ~~अन्य~~ पर है। मिसल दिनांक 17-12-20 को	
19/11/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। वकील प्रार्थी ने श्री शिवकुमार अभिभाषक का वकालतनामा के साथ प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी 17.12.20 निश्चित है। अतः आज की पेशी में ली जाकर फैसला किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 L.R. Act. के तहत विचाराधीन है जिसे आगे चलाना नहीं चाहता है तथा प्रकरण विड्रा करना चाहता है। तथा अप्रार्थी सं. 1 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35, 35A CPC का पेश कर कोर्ट आधेरोपित करने का पेश किया है और कोर्ट की मांग की गई। वकुलाय फरीकेन को सुना गया। दौराने बहस जाहिर किया कि अब पक्षकारों में बाहमी समझौता हो गया है। चूंकि वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को विड्रा करने व आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 L.R. Act. खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 35, 35A CPC का संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	